2019/00421

finalized

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौडगढ

प्रकरण संख्या 08/2019

दिनांक 15 मई 2019

आदेश

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश कमांक/11433–66 दिनांक 21.09.2015 में सेग्रीगेशन हेतु प्रकियात्मक निर्देश के बिन्दु संख्या 9 के अनुसरण में अपवादित खातों को शुद्व किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि ग्राम उम्मेदपुरा पटवार मण्डल कूथंना की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 81 में वर्णित खसरा संख्या 2 रकबा 1.02 हैक्टेयर , आ0स0 3 रकबा 0.02 हैक्टेयर , आ0स0 4 0.44 हैक्टेयर , आ0स0 5 रकबा 0.24 हैक्टैयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.72 हैक्टैयर भूमि वर्तमान् में खातेदार मोहनलाल रामेश्वरलाल पि. उदेयराम मु. शंकरीबाई पति उदेराम देवजी पि. जगन्नाथ चुन्नीलाल पि. दयाराम 1/8 खुराज पि. मियाचन्द 1/8 कालूराम पि0 लेहरीलाल 1/40 कालूराम पि. लेहरू नर्बदाबाई पत्नि लेहरू 1/40 डालचन्द 1/40 भगुबाई 1/40 अणछु पि. छोगा 1/40 नारायण पि. कालू ना.बा0.मु. सोसर बेवा कालू भगवान रतन पि. दल्ल मु. रूकमणी बेवा दल्ला केसरबाई पि. सोला 3/8 नाथू पि. उदा 1/8 जाट सा. कूथना खा. रहन बैक ऑफ बडौदा शाखा भादसोडा हि. केसरबाई के नाम दर्ज रेकार्ड है । जांच व रिकार्ड से मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार सहखातदारों के मध्य हिस्सा सेटलमेन्ट पूर्व से ही गत दर्ज होने से खाता अपवादित है ।

जमाबन्दी बंदोबस्त जागीरात राज्य उदयपुर मेवाड संवत् 1991 अनुसार ग्राम उम्मेदपुरा के खाता संख्या 20 में दर्ज खातेदार दयाराम 1/8 कालू 1/8 मियाचन्द 1/8 पि. मोती छोगा वल्द जालम 1/8 कसना 3/8 नाथू 1/8 पि. उदा जाट के नाम दर्ज तत्पश्चात जमाबन्दी संवत् 2015–2018 के लिखाई वक्त के खाता संख्या 25 में कालू 1/8 का हिस्सा दर्ज नहीं कर शेष खातेदारों का नाम यथावत रखा गया तत्पश्चात् रोटशनों में कालू का हिस्सा दर्ज नहीं हुआ समय–समय पर खातेदार फोत होने से वारिसानों के नाम दर्ज होतु हुए कालू भी वर्तमान में फोत हो चुका है कालू के वारिसान का सजरा निम्न प्रकार है :–

कालू (फोत)

उंकार पुत्र (फोत) | हरलाल पुत्र (फोत) | पुत्री नहीं

उंकार पुत्र (फोत):
मेघा (पुत्र) 1/48 | छगनी(पुत्री) 1/48 | डाली(पुत्री) 1/48

हरलाल पुत्र (फोत):
किशनलाल (पुत्र) 1/64 | सवाईराम (पुत्र) 1/64 | गोपीबाई (पुत्री) 1/64 | मगनीबाई (पुत्री) 1/64

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौडगढ (राज.)

Scanned by CamScanner

उक्त प्रकार से मुतक कालू के वारिसान का आलौच्य वर्तमान खाते में अंकन किया जाने से हिस्सा पूर्ण बनता है । इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्विकरण किया जाना उचित है । ताईद में दोनों जमाबन्दी में मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत की गई है ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट प्रतित होता है कि मौजा उम्मेदपुरा की जमाबन्दी संवत् 1991 की खाता संख्या 20 में अंकित खातेदारान् की प्रविष्ठि दयाराम 1/8 कालू 1/8 मियाचन्द 1/8 पि. मोती छोगा वल्द जालम 1/8 कसना 3/8 नाथू 1/8 पि. उदा जाट की आगामी रोटेशन की जमाबन्दी लिखाई में सहवन से कालू का 1/8 दर्ज हिस्सा उसके वारिसान के नाम पर दर्ज नहीं होने से राजस्व रेकार्ड की वर्तमान स्थिति उत्पन्न हो जाने से वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज खातेदारान् का हिस्सो के अनुपातः में भूमि का क्षेत्रफल बराबर नहीं बैठता है । जिसे शुद्व कराया जाना उचित मानते है ।

अतः प्रार्थना पत्र 136 भू.राजस्व अधिनियम की परीधी में मानते हुए स्वीकार किया जाता है कि मौजा उम्मेदपुरा पटवार मण्डल कूथंना की जमाबन्दी संवत् 1991 की खाता संख्या 20 में अंकित खातेदारान् की प्रविष्ठि के मुकाबले वर्तमान् जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 81 की आराजी किता 4 कुल रकबा 1.72 हैक्टैयर में दर्ज खातेदारान् वर्तमान् में खातेदार मोहनलाल रामेश्वरलाल पि. उदेयराम मु. शंकरीबाई पति उदेराम देवजी पि. जगन्नाथ चुन्नीलाल पि. दयाराम 1/8 खुराज पि. मियाचन्द 1/8 कालूराम पि0 लेहरीलाल 1/40 कालूराम पि. लेहरू नर्बदाबाई पत्नि लेहरू 1/40 डालचन्द 1/40 भगुबाई 1/40 अणछु पि. छोगा 1/40 नारायण पि. कालू ना.बा0.मु. सोसर बेवा कालू भगवान रतन पि. दल्ल मु. रूकमणी बेवा दल्ला केसरबाई पि. सोला 3/8 नाथू पि. उदा 1/8 जाट सा. कूथना खा. रहन बैक ऑफ बडौदा शाखा भादसोडा हि. केसरबाई के साथ **कालू के वारिसान् मेघा 1/48 , छगनी 1/48 डाली 1/48 पिता उंकार एवं किशनलाल 1/64, सवाईराम 1/64, गोपीबाई 1/64, मगनीबाई 1/64,** शुद्वि से अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है । तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावें । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावे ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौडगढ (राज.)

Scanned by CamScanner